उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-07/2021/4777/41-2020-146(बजट)/2018

लखनऊ दिनांक 06 जनवरी, 2021

संख्या-313/2020/4530/41-2020-146(बजट)/2018 दिनांक 22 दिसम्बर 2020

का शुद्धि पत्र

विधान सभा क्षेत्र गैसाडी जनपद बलरामपुर स्थित जनकपुर मंदिर परिसर में गेस्ट आउस का निर्माण कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-313/2020/4530/41-2020-114(बजट)/2018 दिनांक 22 दिसम्बर 2020 के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-4747/6-1-1/(34)/मु0मं0घो0/208-19 दिनांक 22-12-2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृति विषयक शासनादेश की प्रतिलिपि के क्रमांक-9 पर अपर **परियोजना प्रबन्धक**, **उ0प्र0 राजकीय निर्माण लिगम लि0**, **बहराइच** के स्थान पर त्रुटिवश **अधिशासी अभियन्ता**, **प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0**, **बलरामपुर** अंकित हो गया है।

2. अत: एतद्द्वारा शासनादेश संख्यात-313/2020/4530/41-2020-146(बजट)/2018 दिनांक 22 दिसम्बर 2020 की प्रतिलिपि के क्रमांक-9 पर **अधिशासी अभियन्ता**, **प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0**, **बलरामपुर को विलोपित करते हुये** उनके स्थान पर **अपर परियोजना प्रबन्धक**, **उ0प्र0 राजकीय निर्माण लिगम लि0**, **बहराइच अंकित किया जाता है।**

3- शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-07/2021/4777(1)/41-2020-146(बजट)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, बलरामपुर।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9. अपर परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, बहराइच।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन ।
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, अयोध्या।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in